



जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर


क्रमांक: जे.पी.डी./मु.ले.अ(ले.क.रा.)/राज./पत्रा.93/प्रे.1885 जयपुर, दिनांक: 3/8/12

परिपत्र

इस सप्ताह सभी वृत्तों के अधीक्षण अभियन्ताओं के समक्ष राजस्व मामलों की समीक्षा करने पर ऐसा आभास हुआ कि बिलिंग एजेंसी द्वारा जारी विद्युत विपत्रों के अलावा सहायक अभियन्ताओं व सहायक राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रारूप MS-14 के द्वारा उपभोग (यूनिट्स) उनके समक्ष बिना राजस्व राशि के MIS 3.1 एवं 3.2 में जोड़े गये हैं। इस प्रकार की कार्यवाही (practice) वित्तीय सिद्धान्तों के विरुद्ध है, अतः समस्त संबंधित अधिकारियों को आगाह किया जाता है कि बिना राशि के कोई भी उपभोग (यूनिट्स) MS-14 के द्वारा नहीं भेजी जावे।


इस संदर्भ में निगम द्वारा अपने परिपत्र नं 1030 दिनांक 18.05.2011 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि प्रारूप MS-14 सहायक अभियन्ता अपने निर्धारित रिकार्ड के आधार पर अपने संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को प्रति हस्ताक्षर हेतु प्रेषित करेगा एवं अधिशाषी अभियन्ता द्वारा संबंधित लेखा अधिकारी को भेजेंगे व जांच करने के बाद बिलिंग एजेंसी को MIS में सम्मिलित करने के लिए भेजेगा, किन्तु इन निर्देशों की शक्ति से पालना नहीं की जा रही है। अतः निगम से एक वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी भेजा जा रहा है, जो प्रथम चरण में माह अप्रैल 12 व आगामी माहों के MS-14 की पूर्ण जांच करके अधोहस्ताक्षरकर्ता को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।

अतः सभी संबंधित अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि MS-14 के द्वारा गलत सूचना भेजे जाने पर सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता एवं लेखाधिकारी पूर्ण रूप से एवं संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। निगम के द्वारा भेजे गये अधिकारियों की जांच में निर्देशों की पालना में कोई कोताही पायी गई तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।


(कु.जी.ला.मीणा)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

- 1 मुख्य अभियन्ता (), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, जयपुर ।
- 2 मुख्य लेखाधिकारी (), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, जयपुर ।
- 3 अधीक्षण अभियन्ता (), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड,.....अपने अधीनस्थ सभी अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को प्रति भेजकर निर्देशों की पालना सुनिश्चित करे।
- 4 निजी सहायक निदेशक (वित्त/तकनीकी), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, जयपुर ।
- 5 वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड,..... ।
- 6 मैसर्स बीसीआईटीएस, खंडेला हाऊस, बी. 20, प्रथम तल, शिव मार्ग बनीपार्क, / मैसर्स डाटा इंफोसिस, स्टेशन रोड, दुर्गापुरा, जयपुर।


मुख्य लेखाधिकारी
(लेखा, कर एवं राजस्व)